IN THE COURT OF LAND REFORM DEPUTY COLLECTOR SIMDEGA

SCHEDULE

Permission has been granted to sri कमिल कुल्लू

S/O, W/O D/O स्व. लुकास कुल्लू Village सिमडेगा खरवातोली

P.S सिमडेगा District Simdega to transfer the following land to

Sri सन्तोष मिंज S/O,W/O D/O स्व. निर्दोष मिंज

Village सिमडेगा बानोटोली P.S सिमडेगा।

District Simdega by the L.R.D.C. Simdega in his order dated 21-4-2018

in Rev,C.N.T.case No 250 of 2017-18

U/S 46 C.N.T. Act,

Village	Thana No.	Khata No.	plot No	Area(in Acres)	Value for Sale
सिमडेगा	सिमडेगा 116	72	2545	0.07½ एकड़ 4.93 एकड़ में से	412500=00 चार लाख बारह हजार पांच सौ रुपये

चौहद्दी —

1. उत्तर — घर बारी इसी प्लॉट का अंश नीज विक्रेता।
2. दक्षिण — टांड़ इसी प्लॉट का अंश हाल खरीददार।
3. पूरब — दोन प्लॉट नं.-2544 वो 2548
4. पश्चिम — कच्चा रास्ता 8 फीट चौड़ा

Sd...... उपसमाहर्ता भूमि सुधार सिमडेगा

L.R.D.C. Simdega

Memo No. 409 /Rev. Dated (Simdega the 21/04/2018

Copy forwarded to the Sub Registrar, Simdega and Sri कमिल कुल्लू

पिता — स्व. लुकास कुल्लू

Village सिमडेगा खरवाटोली P.S. सिमडेगा। District Simdega

For information and needful

कार्यालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता सिमडेगा (झारखण्ड)

उपसमाहर्ता भूमि सुधार सिमडेगा

L.R.D.C. Simdega

कार्यालय, अंचल अधिकारी, सिमडेगा

पत्रांक 186

दिनांक 20/1/18

सेवा में ,

अनुमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा/ भूमि सुधार उपसमाहर्ता सिमडेगा ।

विषय :- छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम धारा 46 के अन्तर्गत जमीन हस्तान्तरण की अनुमति के संबंध में जाँच प्रतिवेदन ।

प्रसंग :- अनुमति वाद संख्या 250 सन् - 2017-18

1. विक्रेता के संबंध में प्रपत्र

१) क - आवेदक (हस्तान्तरण कर्त्ता) का नाम पिता का नाम/पूरा पता : - श्री कामिल कुल्लू पिता स्व० लुकास कुल्लू, ग्राम - सिमडेगा खरवाटोली, थाना सिमडेगा

ख - जाति : - खड़िया ।

२) खतियानी रैयतों का नाम एवं आवेदक के साथ संबंध : - फुलिया खड़िया वो बिरसा वो बान्दुराम पेशान व फुलु खड़िया वो ओइसा खड़िया मथु खड़िया ।

३) जमीनदारी बिलियन के पश्चात उक्त जमीन की जमाबन्दी संख्या तथा जमाबन्दी दार का नाम : - तदैव ।

४) वर्त्तमान जमाबन्दी संख्या / जमाबन्दी वार का नाम : - 72, गुनाय खड़िया वगैरह ।

५) वर्त्तमान जमाबन्दीदार को किस प्रकार भूमि हासिल हुआ : - खतियानी ।

६) जमीन की मालगुजारी देने वाले रैयत का नाम : - पूर्वज रैयत के वंशज ।

७) आवेदक तथा उक्त रैयत का सम्बन्ध : - वंशज ।

८) उक्त जमीन के कितने हिस्सेदार है तथा आवेदक का उक्त जमीन में वास्तविक हिस्सा स्वामित्व एवं दखल कब्जा : - तीन हिस्सा में से 1

(वंशावली) ओइसा खड़िया 15.01, ... बिरसा ... 7.50 ... 7.50 ... लुकास 7.50 ... इमील ... अजित दलनिप एजेवा ... कामिल ... लिनुस लिबिन चिजन ... विलियम [illegible]

९) क्या आवेदक बड़े भू धारी के अथवा बड़े भूधारी के वंशज हैं, जिनके विरूद्ध लैण्ड शिलिंग का केश है : - नहीं ।

१०) क- क्या उक्त जमीन भूदान की है : - नहीं ।

ख- लैण्ड सिलिंग के किसी वाद में सम्मिलित हैं : - नहीं ।

११) जमीन बेचने का आवश्यकता एवं औचित्य : - मकान बनाने हेतु ।

१२) जमीन का किस्म एवं ब्योरा :

ग्राम/थाना सं०-	खाता सं०-	प्लॉट सं० -	रकबा -	किस्म
सिमडेगा 116	72	2545	0.07½ डी०	आवासीय, धान्ती 4.9?

१३) जमीन का मूल्य जो अगल-बगल की उक्त किस्म जमीन बिक्री के अनुसार हो : - 55000/- @ 45,000/- रु० प्रति डी० ।

१४) जमीन का वर्त्तमान मूल्य 4,12,500/- : - 3,37,500/- (चार लाख बारह हजार पाँच सौ)

१५) विक्रेता के हिस्से की कुल उपलब्ध भूमि : - 1.87½ डी०

१६) बिक्री के बाद शेष भूमि : - 1.80 डी० (एक ए० अस्सी डी०)

सिमडेगा

अंचल निरीक्षक 08/5/18

अंचल अधिकारी 8.5.18

1रु. कोर्ट फी Re.1 एक रुपया ONE RUPEE

2. क्रेता के सम्बन्ध में

१) क - क्रेता का नाम / पिता का नाम घर का पूरा पता : - श्री सन्तोष मिंज पिता स्व० निर्मोष मिंज
: ग्राम सिमडेगा-थोचोपेली, थाना सिमडेगा

ख - जाति : - ईसाई।

२) क्या क्रेता उसी ग्राम के निवासी हैं ? : - उसी ग्राम के हैं।

३) जमीन खरीदने का कारण / आवश्यकता : - आवासीय प्रयोजनार्थ।

४) क्या उसके पिता या दादों के नाम से लैण्ड सिलिंग का वाद चला है : - नहीं।

५) उनके पास तथा उनके परिवार के सभी सदस्यों के पास कुल जमीन कितनी है : — 1.34 ए० लगभग।

६) यदि कोई शैक्षणिक या अन्य संस्था है तो उसका ब्योरा : —

CO Sim

हल्का कर्म० के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर CNT Act के Sec 46 के अन्तर्गत विधिसम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

CS

७) उक्त शैक्षणिक संस्था या अन्य संस्था का अतिरिक्त जमीन क्रय करने की आवश्यकता/उद्देश्य औचित्य : —

८) उक्त शैक्षणिक या अन्य संस्था के कुल धारित जमीन की रकबा ब्योरा : —

९) जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा कि शैक्षणिक संस्था के पास कुल कितनी जमीन है और अतिरिक्त कितनी जमीन उद्देश्य हेतु आवश्यकता है

१०) अभियुक्ति : — प्रस्तावित भूमि के विक्रेता जमाबंदी हिस्सेदार के कब्जे में है। विक्रेता एवं क्रेता समस्थानी एवं ... के हैं। विक्रय पश्चात विक्रेता के पास 1.80 ए० भूमि ... है, अतएव प्रतिवेदन अग्रसारित।

HALKA KARMCHARI

अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा (stamp)

अग्रसारित
अंचल अधिकारी
सिमडेगा

न्यायालय लगानवाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमडेगा।
अनुमति वाद संख्या – 250/2017–18

श्री कामिल कुल्लू .... आवेदक
बनाम
झारखण्ड सरकार.. विपक्षी

आदेश

आवेदक श्री कामिल कुल्लू पिता–स्व0 लुकास कुल्लू ग्राम–सिमडेगा खरवाटोली थाना–सिमडेगा जिला–सिमडेगा ने निम्नांकित भूमि को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत् बिक्री हेतु अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दायर किये हैं।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना	थाना नं0	खाता	प्लॉट	रकबा
सिमडेगा	सिमडेगा	116	72	2545	$0.07\frac{1}{2}$ एकड़

(कुल रकबा (शब्दों में) साढ़े सात डिसमिल मात्र।)

आवेदक अपनी खतियानी जमीन को मकान बनाने हेतु क्रेता श्री संतोष मिंज पिता–स्व0 निर्दोष मिंज ग्राम–सिमडेगा घोचोटोली थाना–सिमडेगा जिला–सिमडेगा (जाति–उरांव) को बिक्री कर रहे हैं। यदि कोई आपत्ति हो तो अंचल अधिकारी, सिमडेगा जिला–सिमडेगा को आम सूचना दी गई थी। आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।

अंचल अधिकारी, सिमडेगा के पत्रांक–186 दिनांक–20.01.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। प्रस्तावित भूमि आवेदक की खतियानी जमीन है उक्त भूमि आवेदक को उतराधिकारी द्वारा प्राप्त है। उक्त भूमि के वर्त्तमान जमाबंदीदार जुनास खड़िया वगैरह के नाम से दर्ज है। ये खतियानी भूमि है। लगान पंजी II के रैयत के वंशज के द्वारा दिया जाता है। बिक्रेता अपने खतियानी जमीन को बिक्री कर रहा हैं, बिक्रेता खड़िया एवं क्रेता उरांव जाति के हैं दोनों अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में आते हैं, तथा दोनों एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं। प्रस्तावित भूमि बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास कुल 1.80 एकड़ भूमि शेष बचता है। भूमि स्वामित्व से संबंधित कागजात खतियान एवं लगान रसीद की छायाप्रति संलग्न है। बिक्री की जाने वाली जमीन का चौहदी भी प्रस्तुत है जो अभिलेख में संलग्न है।

आवेदक अपने बयान में कहा है कि मैं मौजा–सिमडेगा थाना–सिमडेगा जिला–सिमडेगा अन्तर्गत थाना नं0–116 खाता नं0–72 प्लॉट नं0–2545 रकबा–$0.07\frac{1}{2}$ एकड जमीन को मकान बनाने हेतु क्रेता श्री संतोष मिंज पिता–स्व0 निर्दोष मिंज ग्राम–सिमडेगा घोचोटोली थाना–सिमडेगा जिला–सिमडेगा (जाति–उरांव) को मो0 4,12,500/– (चार लाख बारह हजार पाँच सौ रूपये) में अपने खुशी राजी से बिक्री कर रहा हूँ। उक्त जीमन बिक्री

करने के बाद मेरे पास 1.80 एकड़ जमीन शेष बचता है। बिक्रेता खड़िया एवं क्रेता उरांव जाति के हैं दोनों अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में आते हैं, तथा दोनों एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं।

अंचल अधिकारी, सिमडेगा के जाँच प्रतिवेदन एवं आवेदक के बयान के आधार पर मौजा सिमडेगा थाना नं0–78 थाना–सिमडेगा के अन्तर्गत थाना नं0–116 खाता नं0–72 प्लॉट नं0–2545 रकबा–0.07½ एकड़ जमीन को आवेदक श्री कामिल कुल्लू पिता–स्व0 लुकास कुल्लू ग्राम–सिमडेगा खरवाटोली थाना–सिमडेगा जिला–सिमडेगा ने क्रेता क्रेता श्री संतोष मिंज पिता–स्व0 निर्दोष मिंज ग्राम–सिमडेगा घोचोटोली थाना–सिमडेगा जिला–सिमडेगा (जाति–उरांव) स्थानीय बाजार दर के अनुसार छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत् बिक्री की .... दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सिमडेगा।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सिमडेगा।

पुनश्चः तालिका तीन प्रति में तैयार करें। मूल प्रति आवेदक को तथा एक प्रति जिला–निबंधन पदाधिकारी सिमडेगा को भेजें।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सिमडेगा।

प्रधान लिपिक